312
12/9/12
68

खण्ड - 9 सत्यमेव जयते संख्या - 8

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि : 5 जुलाई, 1988 ई०

(1) क्या यह बात सही है कि डा० गिरिजा कुमार सिन्हा, गया जिला के टेकारी प्रखंड के टेकारी ग्राम के रहने वाले हैं, जिन्हें सिविल सर्जन, गया के पद पर पदोन्नति कर गया में पदस्थापित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि नियमानुसार गृह जिला में सिविल सर्जन को पदस्थापित करने का प्रावधान नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री सिन्हा को ज़िला के बाहर स्थानान्तरण करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग : (1) उत्तर नकारात्मक है। गया के सिविल सर्जन का नाम गिरिजा शंकर प्रसाद है।

(2) सम्भवतः गृह जिला में पदस्थापना नहीं करना है।

(3) उपर्युक्त खंडों के उत्तर के आलोक में इनका स्थानान्तरण गया से अन्यत्र किसी जिले में करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था

ब-4. श्री हरि शंकर प्रसाद यादव : क्या मंत्री, धार्मिक न्यास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत सिसवा बरही ग्राम पंचायत में ब्रह्मस्थान की जमीन जिसमें मंदिर भी अवस्थित है, श्री सूर्य नारायण यादव, का० अ० विद्युत विभाग ने चार-दीवारी से घेर कर अतिक्रमण कर लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अतिक्रमण से भक्तगण ब्रह्मस्थान पूजा करने से वंचित हो गये हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमण को शीघ्र हटाना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यो?

प्रभारी मंत्री, धार्मिक न्यास विभाग : (1) उक्त ब्रह्मस्थान की मीन को जिसमें मंदिर भी अवस्थित है श्री सूर्च नारायण यादव, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से एक धार्मिक कार्य समझ कर घेर दिया गया है। इसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(2) उत्तर नकारात्मक है।

(3) उत्तर खण्ड (1) एवं (2) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

ए-19. श्री त्रिभुवन सिंह : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :